न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
राजस्व अपील सं0 86/2017

1. गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी खवाराजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. गेंदीलाल पुत्र रामचन्द जाति माली निवासी खवाराजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
3. रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी खवाराजी तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा

...अपी0

बनाम

राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 17.07.2017 व
न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान, दौसा

उपस्थित : 1.श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 26.12.17

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान ने दिनाक 17.07.2017 को ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0 न0 3723 रकबा 0.01 है0 किस्म सिवायचक पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ तहसीलदार के कार्यालय में अन्तर्गत धारा 91 प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांटस के आराजी खसरा नंबर 3723 वाके ग्राम खवारावजी के एक एयर भू–भाग पर सम्वत 2074 में अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण किया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत अपील पर अधिनस्थ तहसीलदार जो द्वारा अपीलांट को सूचना पत्र प्रचलित कर दिनांक 17.07.17 को तलब किया गया। अपीलांटस ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलांटस ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नं0 3730 पर अपीलांटस ने 10 दुकानात पश्चिम मुखी अर्सा करीब बीस वर्ष पूर्व निर्माण करवाई थी जिन पर अपीलांट कम कब्जा है। अपीलांट की दुकान के आगे ग्राम खवा से दौसा आने वाली सडक है। सडक मार्ग व अपीलांट की खातेदारी की भूमि के बीच खसरा नंबर 3723 भूमि रकबा 3 एयर है जो सडक सीमा मे है। पटवारी हलका द्वारा अपीलांटस का उक्त भूमि के एक एयर भू भाग पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, इससे पूर्व अपीलांटस को अतिक्रमी नही बताया जा रहा है। दिनांक 17.07.2017 को तहसीलदार ने अपीलांटस के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करने का आदेश सुनाकर अपीलांटस के निशनी करवाकर कार्यवाही समाप्त करने का मौखिक आदेश फरमा दिया। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया । प्रार्थीगण को प्रश्नगत आदेश के संबंध मे नही बताया एवं न अपीलांटस के निर्माण को हटाने का कोई आदेश ही दिया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का एक बिस्वा भूमि पर

अतिक्रमण तहसीलदार द्वारा मानकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 17.07.2017 को फरमा दिया गया। अपीलांटस ने सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांटस द्वारा किया हुआ निर्माण अपीलांटस की खातेदारी की भूमि पर है जिसकी माप अपीलांट के समक्ष करवाकर वस्तु स्थिति को स्पष्ट करवाया जा सकता है। निर्माण बीस वर्षो पुराना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट की भूमि के पास चरागाह भूमि है, तो वे स्वयं सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है, उनको विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाकर प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती। पटवारी हल्का द्वारा रिकॉर्ड के अनुसार चरागाह भूमि होने पर ही अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई । गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं लिखित बहस पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पुख्ता निर्माण" अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है। मौके की सीमाज्ञान के लिए अपीलांट स्वयं स्वतंत्र है और जब वे स्वयं आश्वस्त है कि उनकी दुकान आदि खातेदारी भूमि में है, तो उनको सीमाज्ञान स्वयं को ही करवाकर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती । किंतु ऐसा नहीं कर उन्होंने न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये। अपीलांट अपनी बात कहने में असफल रहे है। कार्यवाही से बचने के लिए स्वयं की भूमि होना बता रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official